


राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023, कैम्प कोर्ट)
 कैम्प कोर्ट का स्थान

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंका के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील कपासन व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्यत् 2074-2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	भुंगाना	542	पाति - सरगडा	पाति टोली शेख बहादुर रहे



(..... अर्चना बुगालिया)

पीठासीन अधिकारी, कपासन
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक :- 01.09.2023

क्रमांक/...../2023/260

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(.....)

पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
 उपखण्ड अधिकारी, कपासन

